बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 10 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 15.3.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.20 अपराह्न तक

1. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-78, 86, 87 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 88 से 97 अनागत हुए।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ-78 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि एस.डी.ओ. को सी.ओ. ने जो लिखा है, वह माननीय मंत्री जी को दे दीजिए।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 86 पर माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो फूड सिक्युरिटी एक्ट बना है और उसमें जो लाभार्थी है, उसका आधार बना है, उसी के आधार पर सब

कुछ हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि ट्रांपेरेंसी के लिए हमलोग इस बात से सहमत हैं कि जबतक इसकी आधार सीडिंग नहीं होगी तबतक सही मायने में कौन जानता है कि डुप्लिकेट नहीं हो गया हो। जैसा कि माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि जो सुयोग्य नहीं थे यानी ए.सी., सी.सी. के आधार पर केन्द्र सरकार का जो फूड सिक्युरिटी एक्ट है उसके आधार पर अगर कोई त्रुटि पायी गई है, उसको हमलोग देख रहे हैं। अंततोगत्वा किसी भी प्रकार के लाभार्थी का आधार सीडिंग होने के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट होगी। सारे जन प्रतिनिधि इस बात का प्रचार प्रसार करें कि जिनका आधार नहीं बना है तो वह निर्धारित सेंटर पर जाकर बनवा ले। बिहार सरकार भी पूरे तौर पर इस प्रक्रिया के पक्ष में है और अनवरत प्रयत्न जारी है।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 191, 192, 194 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 190, 193, 195, 196, 197 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 178 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री को आप कागजात दे दीजिएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या– 182 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी, विशेष रूप से इसको देख लेंगे और देख करके जांच करके नियमानुसार जो उचित कार्रवाई हो, वह करें।

तारांकित प्रश्न संख्या- 188 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री ने कहा कि यह गंभीर विषय है, सरकार इसपर गंभीरता से विचार करेगी। माननीय मंत्री ने कहा कि इसे देख रहे हैं और गंभीरता से इसपर कार्रवाई करेंगे।

2. सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

प्रश्नोत्तर काल समाप्त होते ही माननीय सदस्य, श्री केदारनाथ पाण्डेय, प्रो. नवल किशोर यादव एवं प्रो. संजय कुमार सिंह ने आसन का ध्यान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को हो रही कठिनाई की ओर दिलाया, जिसपर आसन से नियमन दिया गया कि माननीय मंत्री, सूचना ग्रहण कर लें, इसपर माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट किया।

माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार ने अंधराठाढ़ी के मुखिया के द्वारा किये जा रहे आमरण अनशन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सरकार को सूचना मिल गई, सरकार इसको देखे।

3. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री रामचन्द्र भारती एवं प्रो. नवल किशोर यादव
2. श्री लालबाबू प्रसाद
3. श्री रजनीश कुमार

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती एवं प्रो. नवल किशोर यादव की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि शून्यकाल में बहस नहीं होगी, आप दे दीजिए, सरकार इसको देखेगी। आप दोनों माननीय सदस्यों ने शून्यकाल में जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, सरकार इसको देखेगी। आप ध्यानाकर्षण बनाकर इसपर दीजिए न!

माननीय सदस्य, श्री लालबाबू प्रसाद की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि शून्यकाल में सब विषय आ जाता है, सरकार इसका आकलन करके देखे।

माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आपने जो शून्यकाल में जनहित का मामला उठाया है, सबलोग जान रहे हैं, सरकार इसको गंभीरता से लेगी।

4. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनाज वितरण नहीं होने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा पटना के सिपारा रेलवे लाइन से सटे एन.एच.-83 से एन.एच.-30 तक सड़क निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री राजन कुमार सिंह द्वारा औरंगाबाद जिले के जी.टी. रोड और महाराजगंज रोड में लग रहे जाम को खत्म करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

(अंतराल)

5. **वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**
(जल संसाधन, योजना एवं विकास, लघु जल संसाधन विभाग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री राधा चरण साह
2. श्री कृष्ण कुमार सिंह
3. श्री डा. दिलीप कुमार चौधरी

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि बहस के दौरान बैठकर कोई माननीय सदस्य अगर कुछ कहते हैं तो उसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाए।

4. श्री नीरज कुमार

आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि बिना अनुमति के जो माननीय सदस्य बोलेंगे, वह कार्यवाही में नहीं आएगा।

विभागवार वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

(माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच में ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण उठकर सदन से बाहर चले गये।)

6. **निवेदन**

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री चन्देश्वर प्रसाद
2. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
3. प्रो. नवल किशोर यादव

4. श्री राधाचरण साह
5. श्री सतीश कुमार
6. श्री रामचन्द्र भारती
7. श्री हीरा प्रसाद बिन्द

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 16.3.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

15/3/2017

(सुमीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 336 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 15.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार 15-3-2016

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्